न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 15/2023 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/02

1. श्रीमती मीना बेन पत्नि श्री केशरसिंह जी राजपुत उम्र बालिग जाति राजपुत निवासी एमनिया पाडला, तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)

–प्रार्थीया

बनाम

1. श्री जगु पिता श्री देवींग जाति डांगी उम्र बालिग
2. श्री नारायण पिता श्री देवींग जाति डांगी उम्र बालिग
   निवासीयान लाम्बीडूंगरी, तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

–::निर्णय::–

दिनांकः– 15/04/2026

उपस्थितिः श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता – प्रार्थीया
विपक्षीगण– एक पक्षीय।

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 सी. पी. सी. का प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीया तथा अन्य खातेदारो की खातेदारी स्वामित्व, आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा लामबीडूंगरी, पटवार हल्का डगार, तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर हाल जिला सलूम्बर में स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व रेकार्ड के खाता संख्या 163 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा दर्ज है, गोवना का 1/3 हिस्सा दर्ज है, तथा 1/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज है एवं खाता संख्या 508 में प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा दर्ज है, श्रीमती मानकी बाई का 1/3 हिस्सा दर्ज है तथा विपक्षी संख्या 01 व 02 का संयुक्त 1/3 हिस्सा दर्ज है, उक्त दोनो खातो मे विपक्षी संख्या 01 व 02 का संयुक्त 1/3 हिस्सा दर्ज है जो राजस्व रेकार्ड मे विपक्षी सख्या 01 व 02 के खाते दर्ज है किन्तु वास्तव मे उक्त दोनो खातो मे वर्णित विपक्षी सख्या 01 व 02 का पुरा–पुरा हिस्सा उनके पिता स्व. श्री देवींग पिता धुला डांगी ने जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र के दिनांक 05–11–2005 को प्रार्थीया को विक्रय कर विक्रय प्रतिफल नकद प्राप्त कर मौके पर कब्जा प्रार्थीया को सिपूर्द कर दिया किन्तु राजस्व रेकार्ड में भूमी प्रार्थीया के खाते दर्ज नही हो पाई, इसलिये विपक्षी संख्या 01 व 02 का स्व. देवींग की मृत्यु बाद राजस्व रेकार्ड मे विरासत से दर्ज हो गई जो जिसकी खाता संख्या 508–163 आराजी नम्बर 6644/0.21, 6645/0.08, 6646/0.02 कुल किता 03 रकबा 0.31खाता संख्या 163–163 आराजी नम्बर 6647/0.02, 6648/0.08, 6649/0.19, 6650/0.13, 6651/0.12, 6652/0.28, 6653/0.10, 6654/0.01 कुल किता 08 कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर है। उक्त वर्णित दोनो खातों में अंकित कुल किता 11 रकबा 1.24 हैक्टेयर भूमि ने पूर्व से क्रय

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

के आधार पर 1/3 हिस्सा प्रार्थीया का राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, इसके अलावा प्रार्थीया ने दिनांक 05–11–2005 को उक्त दोनो खातो में वर्णित कुल किता 11 रकबा 1.24 हेक्टर भूमि जो वर्ष 2005 में राजस्व ग्राम डगार पटवार मण्डल डगार तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर (राज.) के राजस्व ग्राम मे दर्ज थी जिसका नया राजस्व ग्राम लाम्बीडूंगरी पटवार मण्डल डगार तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर (राज.) बना जिससे उक्त कुल किता 11 रकबा 1.24 हेक्टर भूमि राजस्व ग्राम डगार से राजस्व ग्राम लाम्बीडूंगरी पटवार मण्डल डगार के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुई जो वर्तमान में राजस्व ग्राम लाम्बीडूंगरी पटवार मण्डल डगार में अंकित है।

उक्त दोनो खातो में कुल किता 11 रकबा 1.24 हेक्टर भूमी मे 1/3 हिस्सा सन् 2005 में प्रार्थीया का रेकार्ड में दर्ज था तथा 1/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 01 व 02 के पिता स्व. श्री देवींग पिता धुला डांगी निवासी डगार के नाम दर्ज था तथा 1/3 हिस्सा शेष खातेदारो का दर्ज था । उक्त भूमि मे से विपक्षी संख्या 01 व 02 के पिता स्व. श्री देवींग डांगी ने जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 05–11–2005 को अपना पुरा–पुरा हिस्सा यानिकी उक्त कुल किता 11 में से 1/3 हिस्सा की कृषि भूमि प्रार्थीया को रूबरू मोतबीरान श्री केरसिंह राजपुत व पृथ्वीजी डांगी के विक्रय कर विक्रय प्रतिफल प्राप्त कर विक्रयपत्र का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय सलूम्बर में प्रार्थीया के पक्ष में स्व. श्री देवींग पिता धुला डांगी ने विक्रय कर विक्रय प्रतिफल नकद प्राप्त कर विक्रयपत्र सम्पादित कर दिया, उसी दिन से उक्त प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित कुल किता 11 रकबा 1.24 हेक्टर भूमि में से 2/3 हिस्से पर बेरोकटोक प्रार्थीया काबिज काश्त होकर उपयोग, उपभोग करती आ रही है, शेष बचे 1/3 हिस्से के खातेदार, कब्जेदार अन्य सहखातेदार है जो आज तक इसी अनुसार उपयोग, उपभोग करते आ रहे है ।

विपक्षी संख्या 01 व 02 व उनका परिवार उक्त भूमि के खरीद समय से भली भांती परिचित थे कि उक्त भूमि स्व. श्री देवींग ने प्रार्थीया को विक्रय कर दी है फिर भी विपक्षी संख्या 01 व 02 ने तात्कालिन पटवारी से मिलीभगत कर स्व. श्री देवींग के स्वर्गवास के बाद उनके खाते की 1/3 हिस्से की भूमी विरासत से अपने नाम दर्ज करा दी है, इसलिये प्रार्थीया को मजबुरन जरिये पंजीकृत क्रयशुदा प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 02 मे वर्णित कुल किता 11 रकबा 1.24 हेक्टर भूमि मे से विपक्षी संख्या 01 व 02 का क्रमशः 1/6 व 1/6 हिस्सा अपने खाते व अपनी घोषित कराने का वाद बाबत् घोषणा, खातेदारी हक का प्रार्थीया ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। किन्तु राजस्व रेकार्ड मे उक्त भूमि विपक्षीगण के खाते है जिसका नाजायज फायदा उठाकर विपक्षीगण प्रार्थीया को बेदखल करने के लिये आमदा फिसाद हो रहे है, ओर आये दिन लडाई–झगडा कर रहे है तथा वादग्रस्त भूमि में से 1/3 हिस्सा अन्य को हस्तान्तरित करने के लिये भी आमदा फिसाद हो रहे है, इसलिये प्रार्थीया का यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र विपक्षीगण के विरूद्ध पेश है। प्रार्थीया के पक्ष मे विपक्षीगण के पिता स्व. श्री देविंग ने दिनांक 05–11–2005 को उक्त आराजीयात में से 1/3 हिस्सा जरिये पजीकृत विक्रयपत्र के प्रार्थीया को विक्रय कर रखा है जिसका राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद का दाखला विक्रयपत्र पर नामान्तकरण संख्या 561 पर दायर किया भी अंकित है, इसलिये प्रार्थीया का विपक्षीगण के मुकाबले प्रथम दृष्टया एक मजबुत दावा है तथा प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार नही किया जाता है तो उसका नाजायज फायदा उठाकर विपक्षीगण प्रार्थीया को उसके खाते कब्जे की भूमी से बेदखल कर देंगे तथा अन्य को हस्तान्तरित कर सकते है, इसलिये सुविधा सन्तुलन का बिन्दु, अपूर्णितय क्षति का बिन्दु भी विपक्षीगण के मुकाबले प्रार्थीया के पक्ष में है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

अतः एवं प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमावे कि दौराने वाद प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित कृषी भूमी या उसके किसी हिस्से पर विपक्षीगण स्वयं या उनके नौकर, परिजन प्रार्थीया के शांतीपूर्ण कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलअंदाजी न करे न करावे एव ना ही दौरान विचारण प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित कृषी भूमी के स्वामित्व, स्वरूप में किसी भी तरह का विपक्षीगण परिवर्तन नही करे एवं ना ही करावे ।

प्रार्थना पत्र जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलवी हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण ने कोई जवाब पेश नही किया एवं आदेशिका दिनांक 24–06–2024 को न्यायालय मे गैर हाजिर रहने से विपक्षीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली मे प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में विपक्षीगण को हस्तक्षेप एवं हस्तांतरण से रोकने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाए।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रार्थीया का मामला मजबूत है, सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है तथा यदि निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।

::आदेश::–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वे मौजा लाम्बीडूंगरी खाता संख्या 508–163 आराजी नम्बर 6644 / 0.21, 6645 / 0.08, 6646 / 0.02 कुल किता 03 रकबा 0.31 व खाता संख्या 163–163 आराजी नम्बर 6647 / 0.02, 6648 / 0.08, 6649 / 0.19, 6650 / 0.13, 6651 / 0.12, 6652 / 0.28, 6653 / 0.10, 6654 / 0.01 कुल किता 08 कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर उक्त वर्णित दोनो खातों में अंकित कुल किता 11 रकबा 1.24 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय दिनांक 15/04/26 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर